स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 219, दिनाकः 10–09–2020

अर्न्तजनपदीय स्तर पर अवैध शराब (जहरीली स्प्रिट) तस्करी गिरोह का सरगना रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी जनपद कुशीनगर से गिरफ्तार।

दिनांक 09–09–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अर्न्तजनपदीय स्तर पर अवैध शराब तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना जनपद कुशीनगर से रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी दूलचन्द्र यादव को जनपद कुशीनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

दूलचन्द्र यादव उर्फ बुढऊ पुत्र गुल्लू यादव नि0 बम्हौर, मुबारकपुर, आजमगढ़।

बरामदगीः

1. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. 02 अदद मोबाइल फोन।
4. रूपया 275/– नगद

गिरफ्तारी का स्थान व समयः

दिनांक 09–09–2020, स्थानः– बस स्टैण्ड तिराहा विशुनपुर मोड फोरलेन के पास, थाना कसया, कुशीनगर समय 08.20 बजे रात्रि।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर ज्ञात हुआ कि अवैध शराब तस्करी गिरोह का सरगना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से वांछित है जो लगभग 15 वर्षो से फरार चल रहा है तथा इस पर जनपद कुशीनगर से रू0 25 हजार का पुरस्कार भी घोषित है, वह इस समय जनपद कुशीनगर आया हुआ है। इस सूचन पर एसटीएफ मुख्यालय से उ0नि0 मनोज सिंह के नेतृत्व में आरक्षी पुलिस सत्यप्रकाश वर्मा, आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी दीपक सिसोदिया की एक टीम गठित कर जनपद कुशीनगर के लिए रवाना किया गया। उक्त टीम द्वारा जनपद कुशीनगर पहुचकर जमीनी स्तर पर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी दूलचन्द्र यादव किसी काम से बस स्टैण्ड थाना क्षेत्र कसया पर खड़ा है। इस सूचना एसटीएफ टीम स्थानीय पुलिस के साथ बस स्टैण्ड पर पहुचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह दिल्ली से अवैध जहरीली स्प्रिट (अल्कोहल) ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से ड्रमों में मंगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में सप्लाई करता है। वर्ष 2005 में उसके विरूद्ध थाना मुबारकपुर आजमगढ़ में गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें वह जेल गया था लगभग 03 माह बाद जमानत पर छूट जाने के पश्चात कभी भी मा0 न्यायालय में पेशी पर नहीं गया। जिस कारण मा0 न्यायालय द्वारा इसके विरूद्ध स्थाई गैर जमानतीय वारन्ट जारी किया गया था। इसी दौरान इसके विरूद्ध जनपद अम्बेडकर नगर व मऊ में भी गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी जिसमें यह हाजिर न होकर फरार हो गया। तत्पश्चात इसके विरूद्ध कुर्की की

कार्यवाही की गयी। तभी से यह बादस्तूर फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के डर से लगभग 15 वर्षो से पुलिस से छिपकर अवैध जहरीली अल्कोहल का विक्रय व परिवहन कर रहा था। इसके विरूद्ध अन्य जनपदों में पंजीकृत अभियोगों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कसया, जनपद कुशीनगर पर मु0अ0सं0 604/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जिसमें अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

अभियुक्त दूलचन्द्र यादव उर्फ बुढ़ऊ पुत्र गुल्लू यादव का अपराधिक इतिहासः–

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	201/1999	120बी भादवि 60 आबकारी अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ़
2	212/1999	8/12 एनडीपीएस एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
3	306/2005	420, 467, 468, 471 भादवि एवं 60/62 आबकारी अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ़
4	438/2005	3 (1) यूपी गै0एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
5	16/2008	3 (1) यूपी गै0एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
6	664/2019	60/72 आबाकारी अधि0 419, 420, 272 भादवि	कसया	कुशीनगर